

न्यायालय : सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्रीमती शकुन्तला चौधरी आरण्यम

प्रकरण सं० : 98/2023

अनवान :

लक्ष्मीनारायण पुत्र बंशीधर जाति नाई निवासी भादरा तहसील भादरा।

:- वादी

**बनाम**


1. मंजू देवी पुत्री बंशीधर पत्नी बुलु राम जाति नाई निवासी मलसीसर तहसील व जिला झुन्झुनू।
2. पदमा पुत्री बंशीधर पत्नी मनोज मारु जाति नाई निवासी बीकानेर।
3. कुसुम पुत्री बंशीधर पत्नी मोहनलाल मारु जाति नाई निवासी बीकानेर।
4. प्रमिला पुत्री बलवीर पत्नी नोरंगराम जाति नाई निवासी पोहड़का तहसील व जिला सिरसा।
5. मनीषा पुत्री पवन कुमार जाति नाई निवासी वार्ड नं० 18 भादरा तहसील भादरा।

:- प्रतिवादीगण

आज यह वाद मुझ शकुन्तला चौधरी सहायक कलक्टर फास्ट-ट्रैक भादरा के समक्ष वकील वादी श्री सतवीर पूनियां एवं वकील प्रतिवादीगण श्री श्री मांगेराम हुड्डा की उपस्थिति में निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर एवं वाद वादी साबित होने के कारण मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि चक 9 वारानी के खाता सं० 130/74 के मु०न० 77 के कि०न० 21 ता 25 प्रत्येक की 0.253है०, मु०न० 100 के कि०न० 4 ता 9, 12, 13 प्रत्येक की 0.253है०, मु०न० 101 के कि०न० 1 ता 15, 20 प्रत्येक किला की 0.253है०, मु०न० 102 के किला नं० 1, 2, 10 प्रत्येक किला की 0.253है० कुल क्षेत्रफल 8.0960है० वारानी खातेदारी कृषि भूमि वादी के पिता बंशीधर के नाम राजस्व रिकार्ड में 1/4 हिस्सा दर्ज वादभूमि में से बंशीधर का नाम कलमजन किया जाकर वादी लक्ष्मीनारायण को 6/28 हिस्सा व प्रतिवादी सं० 5 मनीषा को 1/28 हिस्सा का खातेदार घोषित किये जाता है। चूंकि प्रतिवादी सं० 1 ता 4 ने अपना हक हिस्सा वादी सं० 1 लक्ष्मीनारायण के पक्ष में त्याग कर शून्य कर लिया है। यदि कृषि भूमि बैंक के रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरान्त ही उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर रिकार्ड दुरुस्त किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करे।

यह आंशिक पर्वी डिक्री आज दिनांक 06.10.2022 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।



  
(शकुन्तला चौधरी) B.A.S.  
सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक)  
भादरा, जिला हनुमानगढ़